न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

.सं.– 51/2019
ी.सी.एम.एस. : 2019/00272

1. शिक्षा पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई आयु 55 बर्ष निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर – प्रार्थी

बनाम

1. गुरजीत कौर पत्नि गुरमेल सिह राम जाति जटसिख निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
2. महेन्द्र कौर पत्नि जरनैल सिह जाति जटसिख निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर
4. श्याम सुन्दर पुत्र रामस्वरूप बिश्नोई 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर
5. संदीप कुमार पुत्र रामस्वरूप बिश्नोई 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री राजू राम ओझा वकील प्रार्थीया
2. श्री अनिल बिश्नोई श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थी स.1–2–3–4

–: **निर्णय** :–

दिनांक : 03.11.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को अपनी जोत 36 एनपी के मु.नं. 56 प.नं. 209/334 के कि.नं. 3/2, 4ता6 कुल 0.949है. नहरी खातेदारी भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने व फसल लाने हेतु आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 36 एनपी के मु.नं. 56 प.नं. 209/334 के कि.नं. 1–2 में 2–2 बिस्वा यानि 0.051है. व कि.नं. 3/1 में 0.0061है. कुल 0.0571है. उतरी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तथा संबंधित आईएलआर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी।

आप्रार्थी सं. 1–2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 4–5 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर, प्रार्थना पत्र स्वीकार पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदका को अपने रकबा में पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता उपलब्ध हैं। जरिए पंजीकृत बैयनामा 31.12.2019 चक 36 एनपी के प.नं. 209/334 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 की 0.253है. 2 की 0.208है. कुल 0.461है. अनावेदक गुरजीत कौर ने, कि.नं. 2/1 की 0.045है. व 3/1 की 0.063है., कुल 0.108है., अनावेदक महेन्द्र कौर द्वारा श्यामसुन्दर, संदीप पुत्रगण रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर को प्रकरण की जानकारी व तामील होने से पूर्व ही प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय करते हुए कब्जा भूमि मय समस्त हक हकूक व अधिकारों सहित उक्त क्रेतागण को सुपुर्द कर चुके थे। इसलिए अप्रार्थीगण खातेदार नहीं होने से आवेदन चलने योग्य नहीं होने से काबिल निरस्ति हैं। अतः आवेदन आवेदका खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 4–5 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदका को अपने रकबा में पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता उपलब्ध हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा 31.12.2019 चक 36 एनपी के प.नं. 209/334 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 की 0.253है. 2 की 0.208है. कुल 0.461है. अनावेदक गुरजीत कौर से व कि.नं. 2/1 की 0.045है. व 3/1 की 0.063है., कुल 0.108है., महेन्द्र कौर से इसी चक के मु.नं. 48 के कि.नं. 20 के नो बिस्वा व 21 सालम से चिपते हुए होन के कारण एकजाई काश्त सुविधा ... रखते हुए क्रय कर खरीद के रोज से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं ... समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.11.06 13:35:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी नहीं थी। न ही वे पक्षकार थे। और न ही कोई स्थगन था। अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता एवं छोटे काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण ने भूमि एकजोई सुविधा को मध्यनजर रखते हुए क्रय की हैं। आवेदका सदभावी नहीं हैं। और न ही क्लीनहैण्ड से न्यायालय में आई हैं। आवेदन काबिल निरस्ति हैं। फिर भी न्यायालय वांछित रास्ता की अत्यंत आवश्यक्ता समझे तो 36 एनपी के मु.नं. 56 के कि.नं. 1–2–3 के दक्षिण रास्ता कि.नं. 8–9–10 से चिपते हुए स्वीकृत कर मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले उतनी ही भूमि दिलवाई जावे। ताकि भूमि टुकड़ों के विभाजित होने से बच सके और काश्त में बाधा ना आये अतः आवेदन आवेदका खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। अतः धारा 251क आर.टी.ए के प्रावधानों के तहत प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि के पहुंच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से वांछित मार्ग चक 36 एनपी के मु.नं. 56 प.नं. 209/334 के कि.नं. 1–2 में 2–2 बिस्वा यानि 0.051है. व कि.नं. 3/1 में 0.0061है. कुल 0.0571है. उतरी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता स्वीकार किया जाता हैं, तो अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभाजित हो जाएगी जिससे अप्रार्थीगण काश्त में परेशानी होगी। अतः यदि प्रार्थीया को उसकी भूमि में पहुंचने के लिए मार्ग स्वीकार किया जाता हैं तो मार्ग चक 36 एनपी के मु.नं. 56 के कि.नं. 1–2–3 के दक्षिण रास्ता कि.नं. 8–9–10 से चिपते हुए स्वीकृत कर मुआवजा के तौर पर भूमि के बदले उतनी ही भूमि दिलवाने हेतु निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनंन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक ठण्डी का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं यदि रास्ता स्वीकृत होता हैं तो प्रार्थी के लिए सुविधाजनक होगा। मु.नं. 56 के कि.नं. 1–2 प्रत्येक में .025है. तथा कि.नं. 3/1 में 0.006है. रास्ता स्वीकृत किये जाने पर रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। चूंकि रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के अनुसार प्रार्थीया के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता की आवश्यक्ता सुखाचार के लिए न होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय की मत में न्यायोचित्त प्रतीत होता हैं। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि यदि वांछित मार्ग स्वीकार किया जाता हैं तो उनकी भूमि दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इस हेतु नजरी नक्शा भूमि अभिलेख निरीक्षक ठण्डी एवं नजरी नक्शा वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत का अवलोकन किया। चक 36 एनपी के मु.नं. 56 एवं 48 में अप्रार्थीगण की भूमि हैं। जो कि अलग अलग मुरब्बाजात में। अतः रास्ता भविष्य की आवश्यक्ता के मध्यनजर पत्थर लाईन पर स्वीकार किया जाना न्याय संगत हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक ठण्डी के आधार पर राजस्थान काश्तकारी(सरकारी)नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के तहत प्रार्थीया के अपनी भूमि में पहुच के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने तथा रास्ता की आवश्यक्ता सुखाचार के लिए न होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 36 एनपी के मु.नं. 56 के कि.नं. 1–2 प्रत्येक में .025है. तथा कि.नं. 3/1 में 0.006है. गैर. मु.म. रास्ता स्वीकार किया जाता हैं। मुआवजा के तौर पर प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीया से नियमानुसार मुआवजा राशि जमा कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करे। तथा स्वीकृतशुदा गैर मुम. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व रायसिंनहगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.11.06 13:35:33 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner